



2026:AHC-LKO:15579-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 2056 सन 2026

राजेश

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव शहरी विकास लखनऊ एवं 3
अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आशुतोष श्रीवास्तव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, राम कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।
2. याचिकाकर्ता को कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान सामुदायिक रसोई चलाने के लिए 29.04.2020 को जारी किए गए कार्य आदेश के आधार पर, बकाया राशि के भुगतान न होने की मांग करते हुए, यह याचिका फरवरी 2026 में दायर की गई है।
3. यदि बकाया/धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जाता, तो उसकी समय सीमा तीन वर्ष होती। कोविड-19 महामारी का लाभ दिए जाने पर भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020* में दिए गए निर्देश के मद्देनजर समय सीमा केवल 15 मार्च 2022 तक ही बढ़ाई जा सकती है। उस समय से भी याचिका अत्यधिक विलंबित है। अब यदि मुकदमा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दायर किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से वह समय सीमा से बाधित होगा। हमें इस मामले पर कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करने वाला कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

4. अतः, हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, इससे याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करने में कोई बाधा नहीं आएगी और न ही संबंधित नगर पालिका को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने में कोई बाधा आएगी, यदि वह स्वयं इस पर विचार करना चाहे।

5. निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 25, 2026 एम.वी.एस./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।